दूरभाष 6451635 / 6451671

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

पांचवें से आठवां तल, स्काईलार्क बिल्डिंग, 60 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

पंजीकृत सपावती

संख्या : इ(डीएल/ 19039 /आवृति 3185

दिनांक 1-10-97

सेवा में,

मैसर्स MSD SECURITY PVT. LTD.
A-206, SAVITRI NAGAR
NEW DELHI-110017.

विषय। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमों का मैसर्स उपरोक्त पर लागू होना।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 9-7-97 को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा 9-7-97 को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि।—

(क) आपकी स्थापना फैक्टरी अर्थात मैसर्स उपरोक्त जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल स्वसपरि सर्विस कार्य में लगी हुई हैं।

(ख) उक्त स्थापना/फैक्टरी में दिनांक 1-7-97 को 66 व्यक्ति कार्यरत हैं।

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16 (1) (ख) के उपबन्धों के अंतर्गत 8-2-97 को 3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमों, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर, चाहे वे एक स्थान पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं, 1-7-97 तारीख से अस्थायी/~~स्थायी~~ रूप से लागू है, इसके अतिरिक्त आपके पूर्व रिकार्डों की जांच अभी की जाएगी।

~~आपके आवेदन पत्र सं० .... दिनांक .... के सन्दर्भ में आपकी प्रशासनिक आधार पर कोड सं० डी एल/ .... आवंटित किया जाता है। कृपया नोट करलें कि इससे स्थापना की मूल आवृति प्रभावित नहीं होगी और इसे सभी प्रयजनों (क्षतिपूर्ति आदि) के लिए मूल यूनिट का अनिवार्य अंग माना जाएगा। .... से .... तक की अवधि का कर्मचारी का हिस्सा नहीं छोड़ा जाएगा।~~

~~अधिनियम धारा 1 (4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या .... दिनांक .... के सन्दर्भ में आपकी स्थापना अर्थात .... को कोड संख्या .... अलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से .... से लाया जा रहा है, तब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 1 उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर देती।~~

2. आपकी स्थापना को कोड नम्बर डी०एल 19039 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उनके अंतर्गत रचित स्कीमों अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आबंटित किया गया हैं। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उदधृत किया जाना चाहिए।

3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की, दर मूल वेतन, महगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत के नकद मूल्य सहित) और निर्वाह भत्ता यदि कोई हैं, प्रत्येक कर्मचारी को 10 % की दर से प्रतिमाह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान का दर नियोक्ता द्वारा देय के समान होगी।

I. अंशदान की सगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महगाई भत्ता आदि, चाहे भुगतान दैनिक, सप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक आधार पर किया गया हो, की जाएगी,

II. अंशदान की सगणना नजदीकी रुपए में अर्थात 50 पैसा या अधिक को एक रुपये में तथा 50 से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

III. अंशदान की सगणना हेतु वेतन की नजदीकी रुपये में अर्थात 50 पैसा या अधिक को एक रुपये से तथा 50 से कम पैसा को छोड़कर की जाएगी।

4. सदस्य को वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंशदान काटें और अपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक मास की 15 तारीख तक भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में संबंधित चालनों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें ।-

(क)	क. भ. नि. अंशदान	क. भ. नि. लेखा सं० 1 में जमा कराया जाए ।
(ख)	प्रशासकीय प्रभार	क. भ. नि. लेखा सं० 2 मे जमा कराया जाए ।
(ग)	प० पेंशन अ शदान	क. प. पें. लेखा सं० 10 में जमा कराया जाए ।

टिप्पणी : (i) प्रशासकीय प्रभार की दर 1-10-86 से वेतन, मूल वेतन, महगाई भत्ता जिस खाद्य मूल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोर हैं, का 0.65% है जो न्यनतम 5 रूपए है ।

(ii) कृपया इस बात कों नोट किया जाए कि यदि सदस्य क वेतन से समय पर कटौती नही की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करानी होगी, क्योकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध हैं केवल उन मामलो को छोडकर जहां ये वसूली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नही हो सकी ।

(iii) परिवार पेंशन स्कीम इस कवरेज नोटिस कें जारी होने के बाद अगले माह की पहली तारीख से लागू होगी।

5. उल्लिखित लेखा सख्या 1,2 और 10 से जमा करान के अतिरिक्त आपने यह भी अपेक्षित हैं कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 कें अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा सख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनो कें अन्दर निम्नलिखित रुप से जमा करायें ।

(i)	निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा सख्या 21	इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन, महगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य में रियायत और परतिधारण भत्ता यदि कोई हैं, कुल राशि की 0.5% होगी ;
(ii)	सं जीय बीमा निधि परशासकीय लेखा सख्या 22	इस लेखे में परशासकीय परभार की दर 1-10-87 से नियोक्तो द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल वेतन, महगाई भत्ता; जिसमें खाद्य मूल्य सबंधी रियायत और परतिधारण भत्ता यदि कोई हैं,की कूल राशि की 0.01% होगी । जो न्यूनतम 2 रुपये परतिमाह है । इससे पूर्व वह दर 0.1% थी ।

उपरोक्त लेखों अर्थात 1, 2,10, 21 और 22 में राशि विभिन्न चालानों कें माध्यम से जमा कराई जाएगी और बैंक से पराप्त चालानों की तीन परतियां फार्म सख्या 12 क (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) कें साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए ;

6. आपसे यह अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करें :-

(i)	क. भ. नि. स्कीम, 1952 तथा कु० पें० स्कीम 1971 कें अन्तर्गत फाम स० 9 (संशोधित)	यह रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में केवल एक बार भेजनी होती हैं जिन्हे फैक्ट्री/स्थापना की स्कीम के कार्यक्षेत्र में लानें की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए हैं ।
(ii)	क० भ. नि. स्कीम और कु. प निधि के अंतर्गत फार्म स० 2	यह फार्म परत्येक सदस्य से दों परतियों मैं परपाप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए ।
(iii)	फार्म स० 5-क	यह दो परतियों मैं इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए मालिको में किसी भी परकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए ।
(iv)	फार्म स० 3-क	यह प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म हैं जिसे फैक्ट्री/स्थापना में ही रखा जाना चाहिए । इस फार्म में भ० नि० में किए गए अंशदान की परतिमाह परविष्टि करनी होती हैं ।
(v)	फार्म स० 6-क	यह अंशदान की वार्षिक विवरणी हैं और इसे परत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनो के भीतर फार्म 3-क के साथ (फरवरी) माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान परत्येक वर्ष मार्च से अदा किया दिखाया जाना चाहिए) इस कार्यालय को परस्तुत करना होता हैं ।

क्रमश : पेज 3

(vi) फार्म सं० 12-क

यह अंशदान का मासिक रिटर्न फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता हैं। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि से संबधित चालान की तीसरी प्रतियां इसके साथ संग्लन की जानी चाहिए।

(vii) फार्म सं० 5 और 10

यह उन कर्मचारियों से संबधित रिटर्न हैं जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते है या नौकरी छोड़ जाते है और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता हैं।

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कुटुम्ब पेंशन निधि स्कीम, 1971 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से संबधित सभी निर्धारित फार्म भविष्य कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हे निशुल्क आपका मांग पत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न हैं।

8. कुटुम्ब पेंशन निधि अंशदान के संबंध में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और संबधित फार्मों में अलग से दिखाते हुए......1-10-97......माह से लेखा सं० 10 में जमा करना होता है।

9, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सबंधित...1-7-97...से...30-9-97 तक की बकाया राशि.....15-10-97...को या इससे पूर्व जमा कराना होता हैं।

10, यदि इस स्कीम को लागू करते समय फार्म सं० 9 (संशोधित) में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जाए और चालान की तीसरी प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए। भविष्य निधि की निवेश की गई समस्त राशि से सबधित सभी प्रतिभूतियों का चार माह के अन्दर केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया जाए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाए। राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिए गए निदेशों से सम्बन्धित नोट सलग्न किया जा रहा है। निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ का इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अंतरण कर दिया जाए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अंतरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र व अनुलग्नको की पावती भेजें।

भवदीय,

(रणबीर सिंह)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुलग्नक।

1, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को लागू करने से सम्बन्धित निदेश।
2, लेखा संख्या अलाट करने से सम्बन्धित निदेश।
3, पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित निदेश।
4, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कुटुम्ब पेंशन अंशदान, निक्षप सहबद्ध बीमा अंशदान की संगणना से संबधित रेडी रेकनर।
5, फार्म 5-क (तीन प्रतियों में)।

प्रतिलिपि :

1, श्री/श्रीमती.... ....भविष्य निधि निरीक्षक को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है। उनसे यह भी अनरोध किया जाता है कि स्थापना के सम्बन्धित फार्म 5-क की दो प्रतियां स्थापना से प्राप्त करें। उन्हे सलाह दी जाती है कि वे कें० भ० नि० आ० के परिपत्र स० इ-72/11 (28) 80/पीएन दिनांक 6 6-1981 में दिए गए अनुदेशो के अनुसार 45 दिन के भीतर कवरेज का स्थायी करें :
2, लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय............................/यह समझा जाता है कि इस फैक्टरी/स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बधित ऐसी राशि उपलब्ध हैं/नहीं हैं, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना हैं इसे ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियो के साथ नोट किया जाए)।
3 प्रवर्तन शाखा.....................................अनुभाग।
4, फाइल स० इ/डीएल/...................................
5, क्षे० भ० नि० आ० ....का उनके पत्र स०...................................
दिनांक——————————————के सन्दर्भ में सूचना और आवश्यक कार्यवाई हेतु।

कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त